U.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE (MAIN) 2018

(Part 02)

Law-II (Procedure and Evidence) / विधि-II (प्रक्रिया एवं साक्ष्य)

Time – 3 Hours **Markes - 200**

1. Discuss the distinction of relevancy and admissibility of scientific techniques, like Polygraph Test, Narco Analysis Test and DNA Test as applied to the cases involving law of paternity as against criminal law with special reference to the ratio of the decision in the case of Selvi and others Vs. State of Karnataka, (2010) 7 SCC 263.
सेल्वी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2010) 7 एस.सी.सी. 263 वाद के निर्णय में दिये गये तर्कों के विशेष संदर्भ के साथ अपराध विधि में पितृत्व विधि वाले बादों में प्रयुक्त पालीग्राफ टेस्ट, नॉर्को एनालिसिस टेस्ट और डी.एन.ए. टेस्ट स्वीकार्यता की विशिष्टता की विवेचना कीजिए।

[10]

2. Discuss the grounds on which an application under Section 319 Code of Criminal Procedure for summoning of a person as an accused can be filed, and explain at what stage of the proceedings the Court can do so, with reference to the latest case law of the Supreme Court.
उच्चतम न्यायालय की नवीनतम निर्णय विधि के साथ, उन कारणों की विवेचना कीजिए जिनके आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को एक अभियुक्त के रूप में समन करने हेतु आवेदन दाखिल किया जा सकता है और स्पष्ट कीजिए कि कार्यवाहियो के किस स्तर पर न्यायालय ऐसा कर सकता है।

[10]

3. How and in what manner, can the evidence of a deaf and dumb person be recorded by a Court ? Explain with the help of case law.
न्यायालय द्वारा किसी बहरे और मूक व्यक्ति के साक्ष्य को कैसे और किस ढंग से दर्ज किया जा सकता है ? निर्णय विधि की सहायता से स्पष्ट करें।

[10]

4. Discuss the framing of a charge with the relevant provisions under the Criminal Procedure Code and frame a possible charge in a case where an accused is charged with the offence of murder and also having destroyed the evidence in that regard.
दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सुसंगत उपबंधों के साथ आरोप विरचना की विवेचना कीजिये और ऐसे वाद में सम्भावित आरोप को विरचित कीजिये जिसमें किसी अभियुक्त को हत्या और साथ ही उससे सम्बन्धित साक्ष्य नष्ट करने के अपराध से आरोपित किया जाता है।

[10]

5. Write a judgment on the following facts in a sessions case after mentioning bare-necessary facts and presuming that necessary witnesses have been examined by the prosecution.
The accused Dr. Ramesh got married to Dr. Vimla, the deceased, on 29.10.1993. Both of them being qualified doctors, were working in King George Medical College Hospital, Lucknow (hereinafter referred to as "KGMC"). The relationship between the husband and wife became strained and they have been living separately since June, 1994. As per the accused, a petition for divorce by mutual consent was filed on 20.02.1996
On 09.03.1996 the accused handed over a set of bloodstained clothes to Dr. Pawar, the Medical Superintendent, stating that when he came to his room that day, the same were found therein. Dr. Pawar, informed the police about the said incident on the same date. Dr. Vimla, wife of the accused, had informed her mother, Smt. Victoria, who was living in Rampur, by way of a telephone call on 06.03.1996, that she would visit her on 08.03.1996. However, she did not reach Rampur on 08.03.1996. Victoria, then came to Lucknow on 10.03.1996, and found that her daughter was missing. Smt. Victoria then lodged FIR No. 16 of 1996 on 10.03.1996, at 09:40 p.m. Wherein being the complainant, she expressed her apprehension that the accused herein had abducted her daughter with the intention of killing her.
In the meantime, Dr. Namrata, one of residents of the hostel in which deceased resided, also informed Dr. Pawar, Medical Superintendent that the deceased had in fact been missing from the hostel since 09.03.1996. After an enquiry it came to light that the deceased was on leave from 09.03.1996 to 16.03.1996.
Dilip Yadav. ASI, took up the investigation of the case and went to the accused's hostel, however, his Room No. 2010, was found to be locked. A police party searched for the accused, among several other places, in the house of Mr. Rana, one of his relatives, but he could not be traced/found anywhere. Dr. Pawar handed over the bloodstained clothes given to him by the accused, to the I.O.
On 11.03.1996, Sunil Yadav, SHO, Police Station, Lucknow Kotwali received a wireless message at 09:00 a.m., from the police chowki at Chinhat, which is about 17 km. away from the main city, informing him that the dead body of a female

Scan this QR Code to Linking Laws BIOs
www.LinkingLaws.com
Linking Laws Tansukh Sir
Get Subscription Now
Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

had been found, lying in the bushes, near the main road. The investigating officer took Victoria with him, while accompanied by other police personnel, and recovered the body of the deceased from the said place. Victoria identified it to be the dead body of Dr. Vimla. Immediately after the recovery of the dead body, Sunil Yadav, visited the room of the accused in the hostel and conducted a thorough search of the same, in the presence of Dr. Pawar, Medical Superintendent.

The post-mortem of the deceased was conducted by a Medical Board consisting of three doctors, including Dr. A.V. Sinha, on 11.03.1996. He opined that the deceased had died by way of strangulation and a corresponding ligature mark was found on her neck. She also had several grievous injuries to her head.

On 11.03.1996, the investigating officer came to know, in the course of interrogation, that the accused had used the car of one Dr. Dipali, and that a bloodstained mat was lying in the dickey of the said car. The police hence took possession of the said car and mat, and sent the mat for preparation of an FSL report.

The accused was arrested on 11.03.1996, and his room in the hostel was searched yet again. Bloodstained earth from the floor of the room came to be collected. A pair of bloodstained while V-shaped hawai chappals were also found there. Photographs of the said room were also taken. During interrogation, the accused made a disclosure statement on 13.03.1996 to the effect that he would be able to help in the recovery of some relevant material from a place where he had hidden it. The accused then led the police party to a place behind Old Jail, Lucknow. From there, after removing some garbage, etc. one bloodstained gunny bag, a bloodstained dumb-bell and one bloodstained tie, were recovered. The said recovered articles along with the clothes, etc. found on the body of the deceased at the time of the post mortem, and the bloodstained clothes given by the accused to Dr. B. Pawar were sent for FSL report. The FSL and serological report revealed that all the articles recovered by the police during investigation, contained human blood, with the sole exception of the mat found in the dickey of the car.

The police completed the investigation of the case and submitted a charge sheet against the accused. The accused thus charged, but as he pleaded not guilty, he claimed trial.

एक सत्र वाद में केवल आवश्यक तथ्यों को उल्लेख करते हुये और यह मानते हुये कि अभियोजन द्वारा आवश्यक साक्षियों को परीक्षित किया जा चुका है, निम्नलिखित तथ्यों पर निर्णय लिखिए।

अभियुक्त डा0 रमेश ने 29.10.1993 को मृतका डा0 विमला से विवाह किया था। वे दोनों योग्य चिकित्सक होने के नाते, किंग जार्ज मेडिकल कालेज हास्पिटल, लखनऊ (इसके बाद "केजीएमसी" के रूप में संदर्मित) में कार्यरत थे। पति और पत्नी के बीच सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गये थे और वे जून 1994 से पृथक रूप से रह रहे थे। अभियुक्त के अनुसार, 20.02.1996 को पारस्पर सहमति द्वारा विवाह-विच्छेद हेतु एक याचिका दाखिल की गयी थी।

दिनाक 09.03.1996 को अभियुक्त ने रक्तरंजित कपड़ों का एक सेट डा० पवार, चिकित्सा अधीक्षक, को यह कहते हुये सौंपा कि उस दिन जब वह अपने कमरे में आया, तो ये पाये गये। डा0 पवार ने उसी तिथि को उक्त घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया। अभियुक्त की पत्नी डा0 विमला ने 06.03.1996 को टेलीफोन कॉल के माध्यम से रामपुर में रह रही अपनी माता श्रीमती विक्टोरिया को सूचना दी थी कि वह 08.03.1996 को उनके यहाँ आयेगी। यद्यपि वह 08.03.1996 को रामपुर नहीं पहुँची तब विक्टोरिया 10.03.1996 को लखनऊ आयी और पाया कि उसकी बेटी लापता थी। इसके बाद, श्रीमती विक्टोरिया ने 10.03.1996 को 09:40 अपराह्न प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 16/1996 दर्ज करायी जिसमें वादिनी होने के नाते. उसने अपनी आशंका व्यक्त की कि इस अभियुक्त ने हत्या करने के आशय से उसकी बेटी का अपहरण किया।

इसी दौरान, डा0 नम्रता, जो कि उसी छात्रावास में रहने वालों में से एक थी, जिसमें मृतका रहती थी, ने भी डा0 पवार, चिकित्सा अधीक्षक, को सूचित किया कि मृतका वास्तव में 09.03.1996 से छात्रावास से लापता थी। जाँच के बाद यह पता चला कि मृतका 09.03.1996 से 16. 03.1996 तक अवकाश पर थी।

दिलीप यादव, ए.एस.आई. ने इस वाद की विवेचना संभाली और अभियुक्त के छात्रावास गये, यद्यपि उसका कक्ष सं0 2010 बंद पाया गया। पुलिस पार्टी ने अभियुक्त के सम्बन्धियों में से एक श्री राणा के मकान सहित कई स्थानों पर अभियुक्त की खोज की, किन्तु वह कहीं नहीं पाया गया। डा0 पवार ने अभियुक्त द्वारा उन्हें दिये गये रक्तरंजित कपड़ों की विवेचनाधिकारी को सौंप दिया।

दिनांक 11.03.1996 को प्रातः 09:00 बजे सुनील यादव, एस.एच.ओ., थाना लखनऊ कोतवाली को पुलिस चौकी चिनहट, जो कि मुख्य शहर से 17 किमी. दूर है, को एक वायरलेस संदेश मिला जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि एक महिला का शव मुख्य सड़क के निकट झाड़ियों में पड़ा हुआ है। विवेचना अधिकारी ने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ ही विक्टोरिया को भी अपने साथ लिया और उक्त स्थान से मृतका के शव को बरामद किया। विक्टोरिया ने इसकी डा0 विमला के रूप में पहचान की। शव की बरामदगी के तत्काल बाद, सुनील यादव ने छात्रावास अभियुक्त के कक्ष का दौरा किया और डा0 पवार, चिकित्सा अधीक्षक, की उपस्थिति में उस कक्ष की गहन तलाशी की।

दिनांक 11.03.1996 को डा0 ए.वी. सिन्हा सहित तीन चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड द्वारा मृतका का पोस्ट-मार्टम किया गया। उनकी राय थी कि मृतका की मृत्यु गला घुटने से हुई थी और उसकी गर्दन पर एक तत्संबंधी बंध चिन्ह पाया गया। उसके सिर पर कई गंभीर चोटें भी थीं।

दिनांक 11.03.1996 को विवेचना अधिकारी को पूछ-ताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ने किसी डा0 दिपाली की कार का उपयोग किया था और यह कि उक्त कार की डिक्की में एक रक्तरंजित चटाई पड़ी थी। अतः पुलिस ने उक्त कार और चटाई को कब्जे में ले लिया और चटाई को एफएसएल रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेज दिया।

दिनांक 11.03.1996 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और छात्रावास में उसके कक्ष की पुनः तलाशी ली गई। कक्ष के फर्श से खूल आलूदा मिट्टी एकत्रित की गई। एक जोड़ी वी-आकार की खून आलूदा हवाई चप्पल भी वहाँ पायी गयी। उक्त कक्ष के फोटोग्राफ्स भी लिये गये। पूछताछ के दौरान दिनांक 13.03.1996 को अभियुक्त ने इस आशय का एक प्रकटीकरण बयान दिया कि वह एक ऐसे स्थान से कुछ सुसंगत वस्तु को बरामदगी करा सकेगा जहाँ उसने इसे छिपाया था। उसके बाद, अभियुक्त पुलिस टीम को पुरानी जेल, लखनऊ के पीछे एक स्थान पर ले गया। वहाँ से कुछ कूड़ा आदि हटाने के बाद, एक खूल आलूदा बोरा, एक खून आलूदा डम्बल और एक खून आलूदा टाई बरामद किये गये।

Scan this QR Code to Linking Laws BIOs
www.LinkingLaws.com
Linking Laws Tansukh Sir
Get Subscription Now
Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

उक्त बरामद वस्तुएँ, पोस्ट-मार्टम के समय मृतका के शरीर पर पाये गये कपड़े आदि और अभियुक्त द्वारा डा० बी. पवार को दिये गये खून आलूदा कपड़े एफएसएल रिपोर्ट के लिये भेजे गये। एफएसएल और सेरोलॉजिकल रिपोर्ट से पता चला कि एकमात्र कार की डिक्की में पायी गयी चटाई के सिवाय विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा बरामद सभी वस्तुओं पर मानव रक्त लगा था।
पुलिस ने इस मामले की विवेचना पूरी करके अभियुक्त के विरूद्ध आरोप-पत्र दाखिल कर दिया। इस प्रकार अभियुक्त को आरोपित किया गया, किन्तु उसने दोषी न होने का अभिवाक करते हुए विचारण की माँग की।

[20]

6. Discuss the ingredients for the recall of a witness under Section 311 Code of Criminal Procedure with relevant case laws on the subject.
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अन्तर्गत किसी साक्षी को पुनः बुलाने हेतु आवश्यक तत्वों की इस विषय पर सुसंगत निर्णय-विधि सहित विवेचना कीजिए।

[10]

7. Write short notes on following:
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(a) Cognizance of offence by Magistrate
मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान।

[5]

(b) Police Officer's power to investigate cognizable case.
संज्ञेय वाद में अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।

[5]

(c) Security for keeping the peace in the cases other than keeping the peace on conviction.
दोषसिद्धि पर परिशान्ति कायम रखने के अलावा अन्य मामलों में परिशान्ति कायम रखने के लिये प्रतिभूति।

[5]

(d) Commitment of case to Court of Sessions when offence is triable exclusively by it.
जब अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना।

[5]

8. White a detailed note on following:
निम्नलिखित पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए

(a) The provisions relating to the prosecution of Judges and public servants as provided under Code of Criminal Procedure, 1973
दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 के अन्तर्गत दिये गये न्यायाधीशों और लोक सेवकों के अभियोजन सम्बन्धी उपबंध।

[5]

(b) The provisions when police arrest a person without warrant.
ऐसे उपबंध जिनके अन्तर्गत पुलिस वारण्ट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है।

[5]

9 (a) What do you understand by "the primary evidence and the secondary evidence" ?
'प्रारम्भिक साक्ष्य" और "द्वितीयक साक्ष्य" से आप क्या समझते हैं?

[5]

(b) From a photostat copy of a sale deed which was compared with its original, another copy is transcribed. A photostat copy then is obtained from the transcribed sale deed. Whether the photostat copy such obtained, can be treated as secondary evidence ?
मूल से तुलना की हुई विक्रय-विलेख की छायाप्रति से एक अन्य प्रति नकल करके तैयार की जाती है। उसके पश्चात् एक छायाप्रति नकल करके तैयार किये गये विक्रय-विलेख से प्राप्त की जाती है। क्या इस तरह प्राप्त की गयी छायाप्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है?

[5]

10. Write short notes on following
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियों लिखिए :

(a) Power of Court to issue commissions
कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति।

[5]

(b) Execution of decree before ascertainment of costs
खर्चो के अभिनिश्चय से पूर्ण आज्ञप्ति का निष्पादन।

[5]

Scan this QR Code to Linking Laws BIOs
www.LinkingLaws.com
Linking Laws Tansukh Sir
Get Subscription Now
Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

(c) General power of High Court and the District Court for transfer and withdrawal of any suit, appeal or other proceedings.
उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालय की किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियों के अन्तरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति।
[7½]

(d) Place of institution of suit where local limits of jurisdiction of Courts are uncertain.
जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमायें अनिश्चित हैं, वहाँ बाद के संस्थित किये जाने का स्थान।
[7½]

11. Write a detailed note relating to special proceedings for settlement of dispute outside the Court. Also provide the details relating to rules, if any, made by the Allahabad High Court in relation to alternate redressal of dispute in the State of Uttar Pradesh.
न्यायालय के बाहर विवाद के निपटारे हेतु विशेष कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पणी लिखिए। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य में विवाद के वैकल्पिक निवारण के सम्बन्ध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये नियमो, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में विवरण भी दीजिये।
[20]

12. 'A' has preferred a civil suit before the Court of Civil Judge, challenging an order dismissing him from service as a consequence to disciplinary action. An application is preferred by the employer 'B' as per provisions of Order VII Rule 11 Code of Civil Procedure, 1908 for rejection of plaint on the count that the same is barred by law. In light of above, draw:
'A' अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप उसे बर्खास्त किये जाने के आदेश को चुनौती देते हुए सिविल न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष एक सिविल वाद लाता है। नियोक्ता 'B' द्वारा इस आधार पर वादपत्र को नामजूर करने के लिये सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908 के आदेश VII नियम 11 के उपबंधों के अनुसार आवेदन करता है कि यह वाद-पत्र विधि द्वारा वर्जित है। उपरोक्त के आलोक में, लिखिए:

(a) An application as per the provisions of Order VII Rule 11 Code of Civil Procedure, 1908 on behalf of 'B'.
'B' की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 11 के उपबधों के अनुसार एक आवेदन।
[5]

(b) An order accepting the application aforesaid.
उपरोक्त आवेदन को स्वीकृत करने का आदेश।
[5]

13. An FIR has been lodged at Police Station Civil Lines, Prayagraj alleging commission of offences by 'A' under Sections 419, 420, 467, 468 Indian Penal Code. 'A' prefers an application under Section 438 Code of Criminal Procedure, 1973 before a Sessions Court having territorial jurisdiction to have direction for grant of bail apprehending his arrest.
Draw an order on the application aforesaid by keeping in mind all possible preliminary objections those can be taken by opposite party.
थाना सिविल लाइन्स, प्रयागराज में 'A' पर धारा 419, 420, 467, 468 भारतीय दण्ड सहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने का आरोप लगाते हुये एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। 'A' अपनी गिरफ्तारी की आशंका पर जमानत स्वीकृत करने हेतु निदेश प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त एक सत्र न्यायालय के समक्ष दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 की धारा 438 के अन्तर्गत आवेदन करता है।
प्रतिपक्ष द्वारा की जा सकने वाली सभी सम्भावित प्राथमिक आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त आवेदन पर आदेश लिखिए।
[15]

14. Explain the law relating to stay of suit and consolidation of suits with reference to provisions of the Code of Civil Procedure.
सिविल प्रक्रिया सहिता के उपबंधों के संदर्भ सहित वाद का स्थगन और वादों के समेकन सम्बन्धी विधि को स्पष्ट कीजिये।
[10]

15. The suit for specific performance of contract filed by 'A' decreed ex-parte against 'B'. On getting information of the ex-parte decree, 'B' moved an application for setting aside the ex-parte decree. Subsequently, pending application under Order IX Rule 13 of the Code of Civil Procedure, he also challenged the ex-parte decree by filing an appeal against the ex-parte decree, with an application for condonation of delay under Section 5 of Indian Limitation Act, claiming that at the time of alleged execution of agreement for sale, he was minor and as the agreement for sale is null and void so also the decree for specific performance of contract. The application under Order IX Rule 13 of the Code of Civil Procedure was dismissed by the trial court, in view of explanation inserted by Act No. 104 of 1976 w.e.f. 01.02.1977 on account of filing of appeal. Subsequently, the appeal filed by 'B' was dismissed as barred by time.
Whether the trial court was right in dismissing the application under Order IX Rule 13 of the Code of Civil Procedure on the ground of filing of appeal ? Answer with reasons.

Scan this QR Code to Linking Laws BIOs
www.LinkingLaws.com
Linking Laws Tansukh Sir
Get Subscription Now
Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

'A' द्वारा संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु दायर वाद में 'B' के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित की गयी। एकपक्षीय डिक्री की सूचना प्राप्त करने पर, 'B' ने एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिये एक आवेदन किया। उसके बाद, सिविल प्रक्रिया सहिता के आदेश IX नियम 13 के अन्तर्गत आवेदन लम्बित रहने के दौरान, वह भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब के लिए माफी हेतु आवेदन के साथ एकपक्षीय डिक्री के विरूद्ध अपील दायर करते हुए एकपक्षीय डिक्री को इस दावे से चुनौती भी देता है कि विक्रय करार के कथित निष्पादन के समय वह अवयस्क था और चूँकि यह विक्रय-करार शून्य है इसलिये भी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु डिक्री भी शून्य है। अपील दाखिल करने के कारण, दिनांक 01.02.1977 से प्रभावी 1976 के अधिनियम सं0 104 द्वारा अन्तःस्थापित स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 13 के अन्तर्गत आवेदन निरस्त कर दिया गया। उसके बाद, 'B' द्वारा दाखिल अपील समय द्वारा वर्जित होने के कारण निरस्त कर दी गयी।

क्या विचारण न्यायालय अपील दाखिल करने के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 13 के अन्तर्गत आवेदन को निरस्त करने में न्यायोचित था ? कारण सहित उत्तर दीजिए।

[10]

Scan this QR Code to Linking Laws BIOs
www.LinkingLaws.com
Linking Laws Tansukh Sir
Get Subscription Now
Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)